BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 72,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आलोक उर्फ अरुणचन्द्र पुत्र रामचन्द्र निवासी सिया खास थाना जवां जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2023 में वादी श्री राजेश चौहान पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम जहानपुर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के पुत्र का अपहरण कर हत्या करने व मोटरसाईकिल चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.06.2023 को थाना अरनिया पर मुअसं- 137/2023 धारा 364ए, 302, 201, 379 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.08.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.04.2025 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आलोक उर्फ अरुणचन्द्र को आजीवन कारावास व 72,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार व श्री अरुण कुमार राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर